आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Scheduled Caste Welfare Department, Madhya Pradesh

State Scholarship for Scheduled Caste Students (Class 6 to 10)

मध्य प्रदेश सरकार कक्षा 6 से 10 में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को राज्य छात्रवृत्ति देती है। राशि समग्र शिक्षा पोर्टल के जरिए दी जाती है।

क्या मिल सकता है

पृष्ठ के अनुसार बालकों को 200 रुपये और बालिकाओं को 600 रुपये मिलते हैं, जो सत्र के 10 माह के हिसाब से गिने जाते हैं। पात्र पाए गए सभी विद्यार्थियों को राशि एक साथ समग्र शिक्षा पोर्टल से दी जाती है।

किसके लिए है

मध्य प्रदेश की किसी मान्यता प्राप्त शाला या संस्था में कक्षा 6 से 10 में नियमित पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्र और छात्राएँ।

मुख्य शर्तें

- विद्यार्थी अनुसूचित जाति वर्ग का हो।
- विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्था का नियमित विद्यार्थी हो।
- यह छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 के लिए है और आवेदन करने का कोई शुल्क नहीं लगता।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cmhelpline.mp.gov.in/KnowYourEntitleDetail.aspx?status=BySchemeFor&pointvalue=5&Schemeid=9
आधिकारिक आवेदन: https://shikshaportal.mp.gov.in/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/madhya-pradesh/mp-sc-state-scholarship-class-6-10/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।